



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227403  
CG-DL-E-07062021-227403

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943

No. 162]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून 2021

(मामला संख्या: एसएसआर-10/2021)

**विषय:** चीन जन.गण. से “टैक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड तथा अनकोटेड ग्लास” के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच ।

फा. सं. 7/10/2021-डीजीटीआर.—मै. बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, (जिसे यहां आगे “याचिकाकर्ता” या “आवेदक” भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “टैक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड तथा अनकोटेड ग्लास” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के लिए एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाया है और समीक्षा करने तथा संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।

**क. पृष्ठभूमि**

3. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच दिनांक 23.06.2016 की अधिसूचना सं. 14/03/2016- डीजीएडी के द्वारा शुरू की थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20.06.2017 की अधिसूचना सं. 14/03/2016-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 18.08.2017 की अधिसूचना सं. 38/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 17.8.2022 तक वैध है।

**ख. विचाराधीन उत्पाद**

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच की तरह “टेक्चर्ड टफेन्ड” (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसमें 4.2 मिमी. से कम मोटाई की न्यूनतम 90.5% (0.2 मिमी. के टालरेंस सहित) का ट्रांसमिशन हो और जहां कम से कम एक दिशा 1500 मिमी. से अधिक हो, चाहे कोटेड हो अथवा अनकोटेड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है)। इस उत्पाद को बाजार की भाषा में विभिन्न नामों जैसे सोलर ग्लास, लो आयरन सोलर ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न सोलर ग्लास आदि के रूप में भी जाना जाता है।
5. टेक्चर्ड टफेन्ड ग्लास का प्रयोग सोलर फोटोवोल्टिक पैनल और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में एक संघटक के रूप में किया जाता है। ट्रांसमिशन के स्तर को लौह मात्रा को कम रखकर, विशिष्ट रूप से 200 पीपीएम से कम, प्राप्त किया जा सकता है। जब एंटीरिफ्लेक्टिव कोटिंग लिक्विड से कोटेड करने पर ट्रांसमिशन का स्तर लगभग 2%-3% बढ़ जाता है। कोटेड या अनकोटेड ग्लास को टेम्परिंग भट्टी में टेम्पर्ड/टफेन्ड किया जाता है क्योंकि यह सौर अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य है। वर्तमान रूझान के अनुसार इन अनुप्रयोगों में प्रयुक्त ग्लास 3.2 मिमी. और 4 मिमी. मोटाई का होता है। चूंकि यह निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए उत्पाद का दायरा मूल जांच में अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा यथापरिभाषित के समान है।
6. संबद्ध वस्तु टैरिफ शीर्ष 70071900 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह नोट किया जाता है कि आयात आंकड़ों के साक्ष्य के अनुसार संबद्ध वस्तु उपशीर्ष 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 और 85414011 उपशीर्षों में भी आयातित हो रही है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

**ग. समान वस्तु**

7. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में चीन जन.गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से चीन जन.गण. से आयातित वस्तु के साथ तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अधीन इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को चीन जन.गण. से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

**घ. घरेलू उद्योग और स्थिति**

8. निर्णायक समीक्षा हेतु अनुरोध मै. बोरोसिल रिनेवेबल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास कुल घरेलू

उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है और यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक से संबंधित हैं। अतः याचिकाकर्ता को नियम 2(ख) तथा 5(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग माना गया है।

#### ड. संबद्ध देश

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

#### च. पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

##### सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने बताया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। अतः आवेदक ने दावा किया है कि इसके अनुपालन में समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य, ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, इसके संबंध में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य या प्रकाशित साक्ष्य नहीं है। अतः संबद्ध वस्तु के लिए चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन हेतु विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर परिकलित किया गया है।

##### निर्यात कीमत

11. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन/व्यापारी का लाभ और गैर-वापसी योग्य वैट के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

##### पाटन मार्जिन

12. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया गया है कि चीन जन.गण. का पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है।

#### च. क्षति या कारणात्मक संबंध के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

13. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण संगत अवधि के दौरान उसके कार्य निष्पादन में गिरावट आई है। आवेदक ने संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमताओं और अप्रयुक्त क्षमताओं के संबंध में भी सूचना दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के संबंध में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध हैं जो वर्तमान समीक्षा जांच को न्यायोचित ठहराते हैं।

#### च. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

14. अतः विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए घरेलू द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

#### ज. जांच की अवधि (पीओआई)

15. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2017-18, 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधियां शामिल होंगी। संभावना के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ जांच अवधि के बाद की अवधि पर भी विचार किया जा सकता है।

**झ. प्रक्रिया**

16. इस समीक्षा में दिनांक 20.06.2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/3/2016-डीजीएडी के सभी के सभी पहलू शामिल होंगे जिसके तहत संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।
17. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

**ञ. सूचना प्रस्तुत करना**

18. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
19. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
21. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

**ट. समय-सीमा**

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

**ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
27. यदि प्रश्नावली का उत्तर/अनुरोध के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ सं. आदि सहित) एक सैट और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दी गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
28. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रदत्त सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी ऐसी अगोपनीय सूचना का अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय अंक की दो (02) और अगोपनीय अंश की दो (02) प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ यथोचित कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे। सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोधों को साझा करना**
33. डीजीटीआर की वेब साइट पर पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी।
- ढ. असहयोग**
34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June 2021

Case No. SSR-10/2021

**Subject: Sunset Review Investigation on imports of Textured Tempered Coated and Uncoated Glass from China PR**

**No. 7/10/2021-DGTR.**—M/s Borosil Renewables Limited. (hereinafter referred to as 'petitioner' or 'applicant') has filed an application before the Designated Authority on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Rules'), for initiation of sunset review investigation concerning imports "Textured Tempered Coated and Uncoated Glass", (hereinafter also referred to as 'subject goods' or 'product under consideration') originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as 'subject country').

2. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in and exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

**A. Background**

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority *vide* Notification No. 14/03/2016-DGAD dated 23.06.2016. The Final Findings Notification was issued by the Authority *vide* notification No. 14/03/2016-DGAD dated 20.6.2017, recommending imposition of definitive duties. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government *vide* Notifications No. 38/2017-Customs (ADD) dated 18.8.2017 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from China PR. The Current Anti-dumping duty is valid up to 17.8.2022.

**B. Product under Consideration**

4. The product under consideration in the present investigation, as in the original investigation, is “Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “Product under Consideration”). The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Low Iron Solar Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass etc.
5. Textured Tempered Glass is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid. The glass whether coated or uncoated is tempered/toughened in a tempering furnace, as it is essential for Solar applications. The glass used in these applications as per current trend is 3.2 MM and 4 MM in thickness. Since this is the sunset review investigation, the product scope remains the same as was defined by the Authority in the final findings of the original investigation.
6. The subject goods are classified under tariff heading 70071900. However, it is noted that subject goods are also being imported in the sub-headings 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 and 85414011 as evidenced by the import data. Moreover, it is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.

**C. Like Article**

7. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from China PR to India. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from China PR in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as, like article, under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from China PR.

**D. Domestic Industry & Standing**

8. The request for the sunset review has been filed by M/s Borosil Renewables Limited, which is the sole producer of the product under consideration in India. The Authority notes that the petitioner holds 100% share in total domestic production and has certified that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is it related to any importer of the subject goods in India or any exporter of the subject goods. Therefore, the petitioner has been treated as eligible Domestic Industry in terms of the Rule 2(b) and Rule 5(b).

**E. Subject Country**

9. The subject country in the present sunset review investigation is China PR.

**F. Likelihood of continuation or recurrence of Dumping****Normal Value**

10. The Applicant has submitted that the Normal Value for China PR should be determined as per Para 7 of Annexure I of the Anti-Dumping Rules, 1995. Therefore, the Applicant has claimed that pursuant to the same, efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in an appropriate market economy third country, price from such a third country to other countries, including India. However, there is no verifiable evidence or published evidence regarding the same. Therefore, the normal value in China PR for the subject goods has been constructed on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin.

**Export Price**

11. The export price for subject goods from China PR has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, inland freight, ocean insurance, bank charges, commission/trader's profit and non-refundable VAT.

**Dumping Margin**

12. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act. It is noted that dumping margin of China PR not only above *de minimis* level, but also significant.

**Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury and Causal Link**

13. The domestic industry has claimed that its performance has deteriorated during relevant period due to dumped imports from the subject country. The Applicant has also provided information with regard to the surplus capacities and idle capacities in the subject country. The Authority notes that there is *prima facie* evidence in regard to likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of antidumping duty to justify initiation of the present review investigation.

**G. Initiation of sunset review investigation**

14. Therefore, on the basis of the duly substantiated application, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**H. Period of Investigation (POI)**

15. The period of investigation for the purpose of the present investigations is January 2020 to December 2020 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the period of investigation. The period after the investigation period may also be considered for the purpose of likelihood analysis.

**I. Procedure**

16. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No. 14/03/2016-DGAD dated 20.06.2017 recommending imposition of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from subject country.
17. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

**J. Submission of information**

18. In view of the special circumstances arising out of COVID-J9 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email address [adgl2-dgtr@gov.in](mailto:adgl2-dgtr@gov.in), [advl3-dgtr@gov.in](mailto:advl3-dgtr@gov.in),

dgtr@gov.in, ddl4 dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

19. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**K. Time Limit**

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority *via* email at the email addresses [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [jd13-dgtr@gov.in](mailto:jd13-dgtr@gov.in) and [dd14-dgtr@gov.in](mailto:dd14-dgtr@gov.in) within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**L. Submission of Information on Confidential basis**

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
27. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
28. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
29. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information. Inspection of Public File

**M. Sharing of responses/ submissions amongst interested parties.**

33. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

**N. Non-Cooperation**

34. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority